

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3571]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2019/ कार्ति क <i>9</i> , 1941	
No. 3571]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/KARTIKA 9, 1941	

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशाय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

सं. 28 / 2015-2020

विषय : विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 7 में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3963(अ.).—विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (समय समय पर यथा संशोधित, 1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015—20 के अध्याय 7 में दिनांक 05.12.2017 से निम्नलिखित संशोधन करती है:

पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7.03 (ख)	बीसीडी के लिए मान्य निर्यात शुल्क वापसी	मान्य निर्यात शुल्क वापसी
7.06	मान्य निर्यात की शुल्क वापसी के लिए शर्त	मान्य निर्यात की शुल्क वापसी के लिए शर्त
	आपूर्तियाँ विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी जो इस प्रकार हैं:	आपूर्तियाँ विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी जो इस प्रकार हैं:
	उक्त श्रेणी के अंतर्गत विनिर्माण और आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली निविष्टियों की मूल सीमा शुल्क के रूप में शुल्क—वापसी मूल सीमा शुल्क का वास्तविक भुगतान करने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर ब्रांड दर आधार पर की जाएगी।	उक्त श्रेणी के अंतर्गत विनिर्माण और आपूर्ति में प्रयुक्त निविष्टियों पर शुल्क वापसी का दावा समय—समय पर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी अनुसूची की 'सकल उद्योग दर' पर माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पादन कर लगाने योग्य निविष्टियों पर सेन्वेट क्रेडिट का लाभ न लिए जाने की शर्त पर अथवा मूल सीमा शुल्क का वास्तविक भुगतान करने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर 'ब्रांड दर आधार' पर किया जा सकता है।

5676 GI/2019 (1)

इस अधिसूचना का प्रभाव : निविष्टियों पर भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के रिफंड को अखिल उद्योग दर पर भी अनुमत किया जाता है।

[फा. सं. 01/92/180/21/एएम–19/पीसी–VI] बिद्युत बिहारी स्वैन, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2019

No. 28/2015-2020

Subject: Amendment in Chapter 7 of the Foreign Trade Policy 2015-2020 -regd.

S.O. 3963(E):—In exercise of powers conferred by Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992, as amended from time to time), the Central Government hereby makes the following amendments in Chapter 7 of the Foreign Trade Policy 2015-20 with effect from **5.12.2017**:

Para No.	Existing Provision	Amended Provision
7.03(b)	Deemed Export Drawback for BCD	Deemed Export Drawback
7.06	Conditions for refund of deemed export drawback	Conditions for refund of deemed export drawback
	Supplies will be eligible for deemed export drawback as per para 7.03 (b) of FTP, as under:	Supplies will be eligible for deemed export drawback as per para 7.03 (b) of FTP, as under:
	The refund of drawback in the form of Basic Customs duty of the inputs used in manufacture and supply under the said category shall be given on brand rate basis upon submission of documents evidencing actual payment of basic custom duties	Refund of drawback on the inputs used in manufacture and supply under the said category can be claimed on 'All Industry Rate' of Duty Drawback Schedule notified by Department of Revenue from time to time provided no CENVAT credit has been availed by supplier of goods on excisable inputs or on 'Brand Rate Basis' upon submission of documents evidencing actual payment of basic custom duties.

Effect of this Notification: Refund of drawback of Duty paid on inputs is also allowed on All Industry Rate.

[F. No. 01/92/180/21/AM-19/PC-VI]

B. B. SWAIN, Director Gen. of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.